

## 5. हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति का निर्धारण

### Determination of Residential Status of Hindu Undivided Family

सम्पूर्ण भारत में आयकर अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति उसके प्रबन्ध एवं नियंत्रण तथा उसके कर्ता के निवासीय स्तर द्वारा निर्धारित होता है।

एक हिन्दू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति गत वर्ष में निम्न प्रकार से निर्धारित होती है :—

- 1. निवासी (Resident) :—** हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में उस समय निवासी होगा जबकि उसका प्रबन्ध तथा नियंत्रण पूर्णतया भारत में स्थित हो तथा उसका कर्ता एक व्यक्ति करदाता संबंधी शर्तों के आधार पर गत वर्ष में निवासी माना गया हो।
- 2. असाधारण निवासी (Non Ordinarily Resident) :—** एक हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में असाधारण निवासी होगा, यदि उसका कर्ता एक व्यक्तिगत करदाता संबंधी शर्तों के आधार पर गत वर्ष में अनिवासी हो तथा उसके व्यवसाय का प्रबंध तथा नियन्त्रण आंशिक रूप से सीमा पर से तथा आंशिक रूप से भारत से संचालित होता हो, तो ऐसी स्थिति में हिन्दू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी माना जाएगा।

**3. अनिवासी (Non Resident) :-** जब एक हिन्दू अविभाजित परिवार के व्यवसाय का संचालन पूर्णतः भारत के बाहर से किया जा रहा हो तो गत वर्ष में उस हिन्दू अविभाजित परिवार को अनिवासी माना जाएगा।

\*\*\*\*\*